# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 549/2011/सिरोही.**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जे. के. ट्रेडर्स, जावल. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

**दिनांक : 03/01/2017**

## निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 73/आरवेट/सिरोही/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–सिरोही (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत अधिकतम शास्ति रूपये 5000/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति को रूपये 2500/– तक सीमित करते हुए, शेष शास्ति राशि को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

**लगातार.....2**

4. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार शास्ति का आरोपण किया गया था, जिसे रूपये 2500/– तक सीमित किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में समस्त बिक्री कर चुके माल की की गयी है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी पर किसी प्रकार की करदेयता नहीं बनती है। वेट अधिनियम की धारा 58(i) के तहत मासिक करदाता की श्रेणी में आने वाले व्यवहारियों पर दस रूपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम कर राशि की 20 प्रतिशत राशि की सीमा तक आरोपण के प्रावधान हैं तथा धारा 58(ii) के तहत अन्य व्यवहारियों पर दस रूपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम रूपये 500/– की सीमा तक शास्ति आरोपण के प्रावधान हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिकतम रूपये 500/– ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक त्रैमास के विलम्ब के लिये रूपये 500/– एवं वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र के विलम्ब के लिये रूपये 500/– की सीमा तक शास्ति की पुष्टि करते हुए शेष राशि अपास्त की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

( के. एल. जैन )
सदस्य